सूचना का अधिकार/अतिआवश्यक 28

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

कमांकःप 21(4)प्रसु/सू.अ.प्र./2009 जयपुर, दिनांकः- 15-4-2010

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आम जनता के द्वारा वांछित सभी सूचनायें (जो नियमानुसार देय हों) निश्चित समय सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। आमजन को चाही जाने वाली सूचना किस विभाग से उपलब्ध होगी, इसकी जानकारी के अभाव में अधिकत्तर आवेदक आवेदन पत्र मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के नाम प्रस्तुत करते है। मुख्य सचिव कार्यालय को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का संबंध विभिन्न विभागों से होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की सहधारा (3) के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा हस्तान्तरित किया जाता है। किन्तु प्रायः यह देखा गया है कि संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का यथासमय निस्तारण नही किये जाने के कारण आवेदक अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील एवं 19 (3) के तहत द्वितीय अपील दायर करते है, तथा दायर अपीलों में मुख्य सचिव कार्यालय को पक्षकार बनाया जाता है।

चूंकि आवेदक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का सीधा संबंध विभिन्न विभागों से होने के कारण आवेदन पत्र/प्रथम अपील/द्वितीय अपील का जवाब संबंधित विभागों द्वारा ही पूर्ण रूप से दिया जा सकता है, किन्तु पूर्ण जवाब आवेदन पत्र/प्रथम अपील/द्वितीय अपील में नहीं दिये जाने के कारण माननीय आयोग द्वारा इसे गम्भीरता से लिया है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी/मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये जाने वाले निर्णयों में राज्य सरकार के विरूद्ध विपरित टिप्पणीयां की जाती है, जो खेद का विषय है।

अतः सभी लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मुख्य सचिव कार्यालय को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र जो नोडल विभाग (प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा संबंधित विभागों को हस्तान्तरित किया जाता है, उन पर निश्चित समयावधि में कार्यवाही कर आवेदक को अवगत कराया जावें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावें कि

29

दायर प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील में उठाये गये बिन्दुओं का जवाब हस्तान्तरित विभाग द्वारा ही दिया जावें एवं संबंधित अपीलों में निश्चित दिनांक को उपस्थित होना सुनिश्चित किया जावें। इसकी पालना कठोरता से किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जावें।

(टी०श्रीनिवासन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. अति मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं विकास आयुक्त।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगणो को भेजकर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
6. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओटीएस, जेएलएन मार्ग जयपुर।
7. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने का श्रम करें।
8. समस्त शासन उप सचिवगण।
9. रक्षित पत्रावली।

15.4.08

लोक सूचना अधिकारी एवं
उप शासन सचिव